झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 37 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री अरूण कुमार
मकान सं०- 25, बरियातु
ग्राम- बरियातु, थाना- मनिका
जिला- लातेहार।

DISPOSED

बनाम

प्रतिवादी जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
27.07.2023		

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग
कैम्प कार्यालय, लातेहार
वाद सं0–37/2023

आज दिनांक–27.07.2023 को लातेहार परिसदन भवन में आयोग द्वारा आयोजित जन सुनवाई के दौरान नरेगा सहायता केन्द्र, मनिका के माध्यम से परिवाद पत्रों की सूची एवं उनकी प्रति आयोग को उपलब्ध कराई गई। उपलब्ध कराए गये सूची में आयोग को व्हाटसएप्प के माध्यम से पूर्व प्रेषित परिवाद पत्रों का उल्लेख है। सूची में क्रमांक–02 पर श्री अरूण कुमार सिंह के परिवाद पत्र का उल्लेख है, जिसमें ग्राम–बारियातु, पंचायत–डोंकी, प्रखण्ड–मनिका, जिला–लातेहार के राजकीय मध्य विद्यालय, बारियातु में प्रधानाध्यापक, श्री लव कुमार तिवारी द्वारा बच्चों को वर्ष–2022 से अब तक मध्याह्न भोजन में अण्डा नहीं दिये जाने का उल्लेख किया गया है। मामले में आयोग द्वारा पत्रांक–WA/234/2023 दिनांक–16.03.2023 के माध्यम से जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार को कार्रवाई करते हुए, कृत कार्रवाई से 15 दिनों के अन्दर आयोग को अवगत कराने का निदेश दिया गया था, परन्तु आयोग के निदेश का अनुपालन नहीं हुआ।

उल्लेखनीय है कि जनसुनवाई में उपस्थित प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, श्री अमरेन्द्र कुमार पाठक का कहना है कि उन्होंने जाँच में पाया कि पूर्व में अण्डा उपलब्ध कराया जाता था, किन्तु सावन के कारण अण्डा नहीं दिया जा रहा है। अण्डा के स्थान पर फल दिया जा रहा है।

आयोग द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार को निर्देश दिया गया कि इस सम्बन्ध में शपथ–पत्र दें। शपथ–पत्र में यदि आयोग गलत जानकारी पाता है, तो आयोग जिला शिक्षा अधीक्षक, लातेहार के विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा।

इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court note.docx38